



क्रमांक 6751/शा-13/EODB/ 2016

भोपाल, दिनांक 28-05-16

प्रति,

1. आयुक्त (समस्त),
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश.
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी(समस्त),
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
मध्यप्रदेश.

विषय : Ease of Doing Business के अंतर्गत भवन अनुज्ञा जारी करने तथा भवन पूर्ण होने तथा अधिवासित करने या उपयोग में लाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु स्थल/भवन को निरीक्षण करने की समय सीमा का निर्धारण।

.....

Ease of Doing Business के अंतर्गत भवन अनुज्ञा जारी करने एवं भवन निर्माण होने या अधिवासित करने या उपयोग में लाये जाने की अनुज्ञा/अनुमति मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 294 तथा 301 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187 एवं 191 के अंतर्गत प्रदाय की जाती है। इन प्रावधानों के अंतर्गत आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, द्वारा अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थल/भवन निरीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर अनुमति/अनुज्ञा प्रदाय की जाती है। ई-नगर पालिका में यह अनुमति ऑन लाईन जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रक्रिया पृथक से आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

Ease of Doing Business के अंतर्गत भवन अनुज्ञा जारी करने तथा भवन निर्माण पूर्ण होने, अधिवासित होने या उपयोग में लाये जाने की अनुमति/अनुज्ञा प्रदान करने के लिये आवश्यक निरीक्षण करके रिपोर्ट देने की समय सीमा 48 घण्टे (02) दिवस निर्धारित की जा जाती है। इस समय सीमा के अंतर्गत स्थल/भवन निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(एस. एस. राजपूत)

संचालक (तकनीकी)



नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक...../शा-13/EODB/ 2016

भोपाल, दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.,
2. कलेक्टर (समस्त)
3. संभागीय संयुक्त संचालक (समस्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश,
की ओर सूचनार्थ।

संचालक (तकनीकी)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक...../शा-13/EODB/ 2016

भोपाल, दिनांक.....

प्रति,

1. आयुक्त (समस्त),
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश.
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी(समस्त),
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
मध्यप्रदेश.

विषय : **Ease of Doing Business** के अंतर्गत भवन अनुज्ञा जारी करने तथा भवन पूर्ण होने तथा अधिवासित करने या उपयोग में लाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु स्थल/भवन को निरीक्षण करने की समय सीमा का निर्धारण।

.....

Ease of Doing Business के अंतर्गत भवन अनुज्ञा जारी करने एवं भवन निर्माण होने या अधिवासित करने या उपयोग में लाये जाने की अनुज्ञा/अनुमति मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 294 तथा 301 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187 एवं 191 के अंतर्गत प्रदाय की जाती है। इन प्रावधानों के अंतर्गत आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, द्वारा अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थल/भवन निरीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर अनुमति/अनुज्ञा प्रदाय की जाती है। ई-नगर पालिका में यह अनुमति ऑन लाईन जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रक्रिया पृथक से आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

Ease of Doing Business के अंतर्गत भवन अनुज्ञा जारी करने तथा भवन निर्माण पूर्ण होने, अधिवासित होने या उपयोग में लाये जाने की अनुमति/अनुज्ञा प्रदान करने के लिये आवश्यक निरीक्षण करके रिपोर्ट देने की समय सीमा 48 घण्टे (02) दिवस निर्धारित की जा जाती है। इस समय सीमा के अंतर्गत स्थल/भवन निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(एस. एस. राजपूत)


संचालक (तकनीकी)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक 752 /शा-13/ EODB / 2016

भोपाल, दिनांक 28-05-16

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.,
2. कलेक्टर (समस्त)
3. संभागीय संयुक्त संचालक (समस्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश,
की ओर सूचनार्थ।


संचालक (तकनीकी)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल